

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 1978/माघ 21, 1899
No. 36] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 1978/MAGHA 21, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय
(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं. 15-आई टी सी (पी एन)/78

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1978

विषय : स्वतन्त्र लाइसेंस योजना के अन्तर्गत विस्कोस स्टेपल फाइबर का
आयात—अप्रैल, 1977—मार्च, 1978 के लिए आयात नीति।

मिसिल सं. आई पी सी 3/6/77.—यू.के./भारत अनुरक्षण अनुदान, 1977 के
अन्तर्गत विस्कोस स्टेपल फाइबर के आयात संबंधित वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक
सूचना सं. 8-आई टी सी पी एन)/78 दिनांक 20 जनवरी, 1978 की ओर ध्यान आकृष्ट
किया जाता है।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने के पश्चात् यह निश्चय किया गया है कि उपर्युक्त
सार्वजनिक सूचना के जारी होने से पूर्व आयात के लिए जो व्यवस्था है उनमें कोई रूकावट
न होती जाए। तदनुसार, ऐसी पार्टियां जिनके पास ऐसे लाइसेंस हैं और जो उपर्युक्त

सार्वजनिक सूचना के पैरा 3 के अन्तर्गत आते हैं वे उन्हें पहले की भाँति प्रचालन में ला सकते हैं।

3. सरकार के ध्यान में ऐसा आया है कि ऐसे बहुत से लाइसेंस धारक जो सार्वजनिक सूचना सं. 84-आई टी सी (पी एन)/77 दिनांक 6 अक्टूबर, 1977 के पैरा 2 के अनुसार उपयुक्त श्रेण पूर्ति हासिल करने के लिए पहले से प्राप्त लाइसेंसों पर उद्गम वेश और/या पातलवान का पृथक्करण कराने के लिए वचनबद्ध हैं उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। इसलिए, वह स्पष्ट किया जाता है कि (अर्थात् जहाँ तक स्थागत लाइसेंसों का संबंध है) उपर्युक्त पैरा 2 में व्यवस्थित छूट के भेदभाव बिना) ऐसे लाइसेंस धारक लाइसेंस प्राधिकारियों के पास पहुँचे हुए अपने आवेदनपत्रों के प्रति आगे लाइसेंस लेने के केवल तभी पात्र होंगे जब तक वे स्वतंत्र लाइसेंस योजना के अन्तर्गत पहले के सभी लाइसेंसों पर पृथक्करण नहीं करा लेते। सार्वजनिक सूचना सं. 6-आई टी सी (पी एन)/78 दिनांक 20 जनवरी, 1978 के पैरा 2 और 4 को इस सीमा तक आशोधित कर दिया गया समझा जाए।

4. यू. के./भारत अनुरक्षण अनुदान, 1977 के अन्तर्गत लाइसेंस प्रदान करना उन सभी मामलों में जारी रहेगा जिनमें आयात का स्रोत यू. के. है।

का. वें. शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

**MINISTRY OF COMMERCE
IMPORT TRADE CONTROL**

Public Notice No. 15-ITC(PN)/78

New Delhi, the 10th February, 1978

**Subject : Import of Viscose staple fibre under free licensing scheme—
Import Policy for April 1977—March, 1978.**

F.No.IPC/3/6/77.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 6-ITC(PN)/78, dated the 20th January, 1978, regarding import of Viscose staple fibre under UK/India Maintenance Grant, 1977.

2. On a further review of the position, it has been decided not to disturb the arrangements for imports made prior to the issue of the above Public Notice. Accordingly, parties holding such licences and covered by Paragraph 3 of the said Public Notice may continue to operate them as before.

3. It has come to the notice of Government that many a licence holder who was obliged to take action to have the country of origin and/or shipment endorsed on the licences already held by him for securing appropriate credit coverage, in accordance with Para 2 of the Public Notice No. 84-ITC(PN)/77, dated the 6th October, 1977, has not yet taken action to do so. Hence, it is clarified that (i.e. without prejudice to the relaxation provided in Para 2 above in so far the pending licences are concerned) such a licence holder will be eligible for further licences against applications pending disposal with the licensing authorities, only after he gets such endorsement made against all the licences held by him already under the free licensing scheme. Paras 2 and 4 of the Public Notice No. 6-ITC(PN)/78, dated the 20th January, 1978 shall be deemed to be modified to that extent.

4. Licences will continue to be granted under the UK/India Maintenance Grant, 1977, only, in all cases where the source of import is the UK.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports and Exports